# न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 33/2018

**प्रार्थी–** *बनाम* **अप्रार्थीगण–**

चन्दनमल पुत्र मिश्रीमल जाति ओसवाल निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

1. सरपंच, ग्राम पंचायत महिलावास
2. पर्वतसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मोकलसर रेल्वे स्टेशन, महिलावास तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

**निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 86 मिसल संख्या 102/2017 मे ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा दिनांक 27.06.2017 को जारी किया गया।**

उपस्थिति :–

1. श्री प्रेमाराम सोनी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री गंगाराम बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 34/2018

**प्रार्थी–** *बनाम* **अप्रार्थीगण–**

चन्दनमल पुत्र मिश्रीमल जाति ओसवाल निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

1. सरपंच, ग्राम पंचायत महिलावास
2. दलपतसिंह पुत्र पर्वतसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मोकलसर रेल्वे स्टेशन, महिलावास तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

**निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 87 मिसल संख्या 103/2017 मे ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा दिनांक 27.06.2017 को जारी किया गया।**

उपस्थिति :–

3. श्री प्रेमाराम सोनी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
4. श्री गंगाराम बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 2 की ओर से उपस्थित।
5. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

## निर्णय

दिनांक : 27/08/2019

1. उपर्युक्त दोनो ही निगरानी प्रार्थना पत्रों मे समान पक्षकार एवं समान विषयवस्तु अन्तर्निहित होने से इनका संयुक्त निर्णय के द्वारा निस्तारण किया जा रहा हैं। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत ग्राम महिलावास मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 86 दिनांक 27.06.2017 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 1666 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत मायलावास द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किया जाना मानते हुए, उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 33/2018 एवं इसी प्रकार पट्टा सं. 87 दिनांक 27.06.2019 के विरूद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 34/2018 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत महिलावास का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों की अनदेखी करते हुए किसी भी नियम की पालना नही की गई है, जिससे आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत की ओर से अप्रार्थीगण सं. 2 के पक्ष मे जिस विवादित भूमि का पट्टा जारी किया गया हैं वह विवादित भूमि निगरानीकर्ता की माता श्रीमति जड़ाव देवी पत्नी श्री मिश्रीमल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 26.10.1967 को रूपये 8000/– मे क्रय किया गया था। प्रार्थी की माता ने उक्त भूखण्ड को अप्रार्थी सं. 2 पर्वतसिंह को दिनांक 10.01.1995 को किराये पर दिया था जिसके साक्ष्य मे एक कबूलियत (किरायानामा) भी अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थी की माता के पक्ष मे निष्पादित किया था। इसके पश्चात किरायेदारी समाप्त होने पर उक्त मकान खाली करके कब्जा सुपुर्द नहीं किया और न ही बकाया किराये का भुगतान किया जिस पर प्रार्थी की माता ने अप्रार्थी सं. 2 पर्वतसिंह के विरूद्ध दीवानी वाद सं. 3/1998 सिविल न्यायाधीश (क0ख0) सिवाना के न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिसमे अप्रार्थी सं. 2 से वादग्रस्त परिसर का कब्जा प्राप्त करने तथा कबाया किराये की राशि प्राप्त करने का अनुतोष मांगा गया। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा उक्त वाद निर्णय दिनांक 01.11.2011 के द्वारा डिक्री ककरके उसका कब्जा वादी को सुपुर्द करने और बकाया किराये की राशि रूपये 4800 एवं प्रतिमाह हर्जाने की राशि वादी को अदा करने का आदेश जारी किया। उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना नहीं करने पर अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध इजराय प्रार्थना पत्र सं. 01/2012 प्रस्तुत किया, किन्तु उक्त अवधि मे प्रार्थी के पक्ष मे जारी निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करने हेतु अप्रार्थी सं. 2 द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी सं. 2

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

ने गुप्त रूप से ग्राम पंचायत के सरपंच एवं ग्राम सेवक के साथ षडयन्त्र करके प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि को दो भागों मे विभक्त करके एक भाग का पट्टा सं. 86 अप्रार्थी सं. 2 पर्वतसिंह स्वंय के नाम व एक भाग का पट्टा सं. 87 अप्रार्थी सं. 2 अपने पुत्र दलपतसिंह के नाम से जारी करवाया हैं। इस प्रकार दोनो ही निगरानी अधीन अप्रार्थीगण सं. 2 का विवादित भूखण्ड पर कोई स्वत्वधारी आधिपत्य था बल्कि किरायेदार की हैसियत होने से वादग्रस्त परिसर खाली करने की डिक्री भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित की जा चुकी हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पारित किये गए आलौच्य दोनो पट्टे अवैधानिक होने से खारिज योग्य हैं।

5. अप्रार्थी सं. 2 के योग्य अधिवक्ता ने जवाब मे लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने स्वामित्व से सम्बन्धित बताया गया मकान मौके पर लोकेट नहीं होता हैं। वास्तव मे उक्त नाप व पडौस का भूखण्ड अप्रार्थी सं. 2 के स्वामित्व व अधिपत्य का था जिस पर पुराना कब्जा मानते हुए ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टे जारी किये गये हैं। इस मकान मे अप्रार्थी सं. 2 के नाम लाईट कनेक्शन लिया हुआ हैं एवं अप्रार्थीगण इसका उपयोग एवं उपभोग नियमित करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड कभी किराये पर नहीं लिया था तथा न ही किसी न्यायालय मे कोई डिक्री जारी होने की जानकारी अप्रार्थीगण को हैं। अप्रार्थीगण को उक्त एकपक्षीय डिक्री की जानकारी होने से पर नियमानुसार पैरवी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु उक्त न्यायालय से अप्रार्थी को न्याय की आस नहीं होने पर उक्त प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा उल्लेखित तथ्य गलत एवं मनगढ़त हैं। अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूखण्ड पर पुराना कब्जा एवं स्वामित्व हैं जिसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर ही उक्त मकान का पट्टा अप्रार्थीगण सं. 2 के पक्ष मे जारी किये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा विलेख जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिनियम के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनो ही निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं जो मय खर्चा–हर्जा खारिज फरमाये जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी को सुना। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि वादग्रस्त भूखण्ड पर स्थित मकान का किरायानामा अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थी की माता के पक्ष मे निष्पादित किया गया था तथा निर्धारित किरायेदारी समाप्त होने पर मकान खाली नहीं किये जाने व बकाया किराया अदा नहीं करने पर सिविल वाद सं. 3/1998 दायर किया गया। सिविल न्यायाधीश (क0ख0) सिवाना द्वारा उक्त वाद निर्णय दिनांक 01.11.2011 को डिक्री किया गया हैं। अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन हैं कि उक्त निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय जारी हुई हैं तथा इसके विरूद्ध उसके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं तो विचाराधीन हैं। अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 ने कभी वादग्रस्त मकान का किरायानामा प्रार्थी की माता के पक्ष मे निष्पादित नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत महिलावास की ओर से प्रस्तुत आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली की अवलोकन से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 2 के आवेदन पत्र पर निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए पट्टा जारी किया गया हैं किन्तु अप्रार्थी सं. 2 का विवादित भूखण्ड पर 50 वर्षों से निरन्तर कब्जा होने का कोई प्रमाण पत्रावली पर मौजूद नहीं है और नही स्वामित्व के बाबत कोई जांच की गई हैं। ऐसे मे आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने मे ग्राम पंचायत द्वारा इस बिन्दु पर घोर अनियमितता बरती जाकर अवैध कार्यवाही की गई हैं। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज पंजीबद्ध विक्रय पत्र एवं सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, प्रार्थी के स्वामित्व के पुख्ता सबूत हैं इसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने अपने पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसे मे ग्राम पंचायत द्वारा विवादित मकान का पट्टा जारी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

करने से पूर्व उसके स्वामित्व सम्बन्धी कोई जांच नहीं की गई है तथा इस आधार पर आलौच्य दोनो ही पट्टे अवैध होने से निरस्त योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दोनो ही निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा जारी पट्टा सं. 86 व 87 दिनांक 27.06.2017 को अपास्त किया जाता हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलेक्टर
बाड़मेर